राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–4) विभाग

क्रमांक : प. 4(5)कार्मिक/क–4/2017 जयपुर, दिनांक : 13 SEP 2021

आज्ञा

राजस्थान प्रशासनिक सेवा नियम, 1954 के नियम–28 बी के अन्तर्गत गठित रिव्यू विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा पर राजस्थान तहसीलदार सेवा में नियमित रूप से नियुक्त श्री मनीष कुमार को राजस्थान प्रशासनिक सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला वर्ष 2018–19 की रिक्तियों में वरिष्ठता–सह–योग्यता के आधार पर एतद्द्वारा पदोन्नत किया जाता है। चयन सूची में इनका नाम श्री बाबुलाल जाट के नाम के नीचे जोड़ा जाता है।

श्री बद्रीनारायण के संबंधित वर्षों का सेवा अभिलेख (वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन) अभी भी पूर्ण नहीं होने के कारण इनका प्रकरण यथावत डेफर रखा जाता है।

श्री मनीष कुमार अपने वर्तमान पद पर यथावत कार्य करते रहेंगे तथा पदोन्नति पर कार्य–भार ग्रहण की रिपोर्ट इस विभाग को भिजवायेंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(डॉ. रविन्द्र गोस्वामी)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. सचिव, राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. संबंधित विभागाध्यक्ष को भेजकर लेख है कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला में अस्थाई/तद्र्थ रूप से पदोन्नत अधिकारियों के प्रकरण में नियमित पदोन्नति वर्ष में पद रिक्ति की दिनांक से पुनः वेतन निर्धारण कर पुष्टि की सूचना इस विभाग को आवश्यक रूप से भिजवाने का श्रम करे। यदि इनका नियमित पदोन्नति वर्ष सें पुनः वेतन निर्धारण नहीं किया जाता है और भविष्य में इन अधिकारियों की किसी प्रकार की वसूली देय होगी तो उसके लिए आपका विभाग उत्तरदायी होगा।
7. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
8. निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
9. वित्तीय सलाहकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
10. संबंधित अधिकारी को भेजकर लेख है कि यदि आपको राजस्थान प्रशासनिक सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला में अस्थाई/तद्र्थ रूप से पदोन्नत किया है तो आप अपने विभागाध्यक्ष से नियमित पदोन्नति वर्ष में पद रिक्ति की दिनांक से पुनः वेतन निर्धारण करवाकर इस विभाग को अवगत करावे। यदि आपने नियमित पदोन्नति वर्ष से पुनः वेतन निर्धारण नहीं करवाया है तो भविष्य में बनने वाली अधिक वेतन की वसूली माफी योग्य नहीं होगी। इसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।
11. ए.सी.पी. कम्प्यूटर सैल, कार्मिक विभाग।
12. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव